

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 103]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 24 फरवरी 2014—फाल्गुन 5, शक 1935

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2014

क्र. एफ 2-13-2011-छब्बीस-1.—निःशक्त व्यक्ति [समान अवसर अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 (1996 का अधिनियम संख्यांक 1)] की धारा 32 के अधीन निःशक्त व्यक्तियों के लिये पदों के चिन्हांकन हेतु प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 3 फरवरी 2014 को मंत्रालय में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग, मंत्रालय, भोपाल के द्वारा जारी अधिसूचना की अनुसूची-एक में उल्लेखित तीन विभागों की स्थापनाओं की अनुसूची—दो में दी गयी विशिष्टियों के अनुसार निःशक्त व्यक्तियों के आरक्षण हेतु पदों का चिन्हांकन किया जाता है :—

#### अनुसूची “एक”

- (1) पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
- (2) किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग (म. प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था)
- (3) महिला एवं बाल विकास विभाग

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. पी. एस. जादौन, उपसचिव.

## अनुसूची "दो"

## निःशक्तजनों के लिये चिन्हांकन

## विभाग का नाम—( 1 ) पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम	सीधी भरती के लिये स्वीकृत पद	योग	निःशक्तजनों के लिये चिन्हांकित पदों की संख्या कुल योग (6 प्रतिशत)	चिन्हांकित पदों अस्थि बाधित	दृष्टि बाधित	श्रवण बाधित	योग (6+7+8)	यदि किसी संवर्ग में किसी श्रेणी से छूट आवश्यक हो तो उसकी टीप
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
द्वितीय श्रेणी	सहायक संचालक	25	25	01	01	-	-	01	दृष्टि बाधित एवं श्रवण बाधित श्रेणी से छूट प्रदाय की जाती है.
	योग . .	25	25	01	01	-	-	01	-
तृतीय श्रेणी	निरीक्षक	38	38	02	02	-	-	02	कार्य की प्रकृति को देखते हुए दृष्टि बाधित एवं श्रवण बाधित श्रेणी से छूट प्रदाय की जाती है.
	सहायक ग्रेड-3	53	53	03	-	01	02	03	अस्थि बाधित श्रेणी से छूट प्रदाय की जाती है.
	योग . .	91	91	05	02	01	02	05	-
चतुर्थ श्रेणी	भृत्य	23	23	01	-	-	01	01	दृष्टि बाधित एवं अस्थि बाधित श्रेणी से छूट प्रदाय की जाती है.
	योग . .	23	23	01	-	-	01	01	-

## विभाग का नाम—( 2 ) किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग ( म. प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था )

श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम	सीधी भरती के लिये स्वीकृत पद	योग	निःशक्तजनों के लिये चिन्हांकित पदों की संख्या कुल योग (6 प्रतिशत)	चिन्हांकित पदों अस्थि बाधित	दृष्टि बाधित	श्रवण बाधित	योग (6+7+8)	यदि किसी संवर्ग में किसी श्रेणी से छूट आवश्यक हो तो उसकी टीप
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
तृतीय श्रेणी	सहायक बीज प्रमाणी. अधिकारी	220	220	-	02	-	02	04	कार्य की प्रकृति को देखते हुये दृष्टि बाधित श्रेणी से छूट प्रदाय की जाती है.
	बीज विश्लेषक	16	16	-	02	-	-	02	कार्य की प्रकृति को देखते हुये दृष्टि बाधित एवं श्रवण बाधित श्रेणी से छूट प्रदाय की जाती है.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	बीज रोग विशेषज्ञ	04	04		-	-	-	-	कार्य की प्रकृति को देखते हुये दृष्टि बाधित, अस्थि बाधित एवं श्रवण बाधित, श्रेणी से छूट प्रदाय की जाती है.
	शीघ्रलेखक	02	02	18	-	-	-	-	कार्य की प्रकृति को देखते हुये दृष्टि बाधित, अस्थि बाधित एवं श्रवण बाधित, श्रेणी से छूट प्रदाय की जाती है
	प्रयोगशाला सहायक	24	24		02	-	-	02	कार्य की प्रकृति को देखते हुये दृष्टि बाधित एवं श्रवण बाधित श्रेणी से छूट प्रदाय की जाती है.
	सहायक ग्रेड-3	34	34		01	03	03	07	-
	स्टेनो टायपिस्ट (कम्प्यूटर ऑपरेटर)	08	08		01	02	-	03	श्रवण बाधित श्रेणी से छूट प्रदाय की जाती है.
	योग . .	308	308	18	08	05	05	18	-
चतुर्थ श्रेणी	वाहन चालक	11	11		-	-	-	-	कार्य की प्रकृति को देखते हुये दृष्टि बाधित, अस्थि बाधित एवं श्रवण बाधित श्रेणी से छूट प्रदाय की जाती है.
	प्रयोगशाला परिचारक	12	12	05	01	-	-	01	दृष्टि बाधित एवं श्रवण बाधित श्रेणी से छूट प्रदाय की जाती है.
	भृत्य	44	44		01	01	01	03	-
	चौकीदार	15	15		01	-	-	01	दृष्टि बाधित एवं श्रवण बाधित श्रेणी से छूट प्रदाय की जाती है.
	योग . .	82	82	05	03	01	01	05	-

**विभाग का नाम—( 3 ) महिला एवं बाल विकास विभाग**

श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम	सीधी भरती के स्वीकृत पद	योग	निःशक्तजनों के लिये चिन्हांकित पदों की संख्या कुल योग (6 प्रतिशत)	चिन्हांकित पद/संवर्ग एवं संख्या	अस्थि बाधित	दृष्टि बाधित	श्रवण बाधित	योग (6+7+8)	यदि किसी संवर्ग में किसी श्रेणी से छूट आवश्यक हो तो उसकी टीप
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
द्वितीय श्रेणी	विकासखण्ड महिला सशक्तीकरण अधिकारी	156	156	09	03	03	03	09	-	

हस्ता./-

( आर. पी. एस. जादौन )

उप सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग.

हस्ता./-

( संजीव कुमार झा )

सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग.